न्यायालयः— तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायसेन म0प्र0
(पीठासीनः— डॉ0 रमेश साहू)

आपराधिक पुनरीक्षण क्र0—01 / 2018
CNR-MP38010000042018
संस्थित दिनांक— 24.07.2017

अरूण सेठी जैन पिता अशोक सेठी, वयस्क,
निवासी 39 इन्द्रपुरी भोपाल म0प्र0 हाल निवासी
14 सेठी भवन, छबीला भेरूमार्क सिंधी बाजार,
उदयपुर, (राजस्थान)

————————पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा खाद्य निरीक्षक
(एडालीन ई पन्ना) उपसंचालक खाद्य एवं
औषधि प्रशासन, जिला रायसेन म0प्र0

——————————प्रत्यर्थी

// आदेश //
(आज दिनांक 02—01—2018 को पारित)

1— यह पुनरीक्षण याचिका मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रायसेन श्री सुधीर मिश्रा के न्यायालय के पंजीबद्ध प्रकरण क्र— 452 / 10, म0प्र0 शासन विरूद्ध अनिल राय में पारित आदेश दिनांक—30.01.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता को धारा 319 दंप्रसं के अंतर्गत धारा 7(11) सहपठित धारा 16 (1)ढ (।।) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के आरोप में सहआरोपी बनाया है, जिसका निराकरण किया जा रहा है।

2— पुनरीक्षण याचिका इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रायसेन के समक्ष एक प्रकरण आर0टी0नं0 452/2010 लंबित है, जिसमें पूर्व आरोपी विनोद द्वारा धारा 319 दंप्रसं अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था जिसमें पुनरीक्षणकर्ता को आरोपी बनाने की प्रार्थना की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन स्वीकार कर पुनरीक्षणकर्ता को सहआरोपी बना दिया है, जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण पेश की गयी है।

3— पुनरीक्षण याचिका के आधार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश नियम प्रकिया एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रकरण में विनोद जैन जो कि फैशन शूटिंग प्राइवेट लि0 एम0आई0जी0 149—बी—सेक्टर इन्द्रानगर मण्डीदीप को प्रभारी बताया गया है, प्रभारी को मालिक न मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है। प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है

जानकारी हेतु प्रतिलिपि / विधिक उपयोग हेतु अमान्य
सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

जिससे यह माना जाये कि पुनरीक्षणकर्ता, सह–आरोपी की श्रेणी में आता है। प्रकरण में परिवादी की साक्ष्य के अभाव में पुनरीक्षणकर्ता को सहआरोपी बनाया जाना विधि के प्रतिपादित सिद्धांतो के विपरीत है। पुनरीक्षणकर्ता 2005 से म0प्र0 को छोड़कर राजस्थान में निवास कर रहा है, अगर वह म0प्र0 का निवासी होता तो इस सम्बंध में परिवादी द्वारा परिवाद के साथ कोई दस्तावेज संलग्न कर परिवाद प्रस्तुत किया जाता। इस तथ्य को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है। अतः पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश अपास्त कर पुनरीक्षणकर्ता को उक्त आरोप से मुक्त करने के आदेश प्रदान किये जाये।

4– प्रत्यर्थी की ओर से पुनरीक्षण को निराधार होना बताया गया है तथा पुनरीक्षण याचिका निरस्त किये जाने की प्रार्थना करते हुए, यह भी तर्क किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप का आधार न होने से पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जावे।

5– उभय पक्षों के उपरोक्त तर्को के प्रकाश में अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

> "क्या अधीनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश शुद्धता, वैधता एवं औचित्य की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ?

निष्कर्ष के आधार

6– पुनरीक्षणकर्ता की ओर से व्यक्त किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश नियम प्रक्रिया एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रकरण में विनोद जैन जो कि फैशन शूटिंग प्राइवेट लि0 एम0आई0जी0 149–बी–सेक्टर इन्द्रानगर मण्डीदीप को प्रभारी बताया गया है, प्रभारी को मालिक न मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है। प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह माना जाये कि पुनरीक्षणकर्ता सह–आरोपी की श्रेणी में आता है। प्रकरण में परिवादी की साक्ष्य के अभाव में पुनरीक्षणकर्ता को सहआरोपी बनाया जाना विधि के प्रतिपादित सिद्धांतो के विपरीत है। पुनरीक्षणकर्ता 2005 से म0प्र0 को छोड़कर राजस्थान में निवास कर रहा है, अगर वह म0प्र0 का निवासी होता तो इस सम्बंध में परिवादी द्वारा परिवाद के साथ कोई दस्तावेज संलग्न कर परिवाद प्रस्तुत किया जाता। इस तथ्य को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है। अतः पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश अपास्त कर पुनरीक्षणकर्ता को उक्त आरोप से मुक्त करने के आदेश प्रदान किये जाये।

7— प्रत्यर्थी की ओर से पुनरीक्षण को निराधार होना बताया गया है तथा पुनरीक्षण याचिका निरस्त किये जाने की प्रार्थना करते हुए, यह भी तर्क किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप का आधार न होने से पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जावे।

8— उभयपक्षों के तर्कों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। पूर्व आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक 66/16, आदेश दिनांक 13.12.16, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायसेन द्वारा निराकृत पुनरीक्षण में उल्लेखित यह तथ्य कि ''यदि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी विनोद जैन आवेदन पत्र के साथ भोपाल डिपो के मालिक सम्बंधी कोई दस्तावेज पेश करे तो उस पर भविष्य में विचार किया जा सकता है,'' का कोई खण्डन पुनरीक्षणकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। उक्त आदेश की संलग्न प्रति से इसकी पुष्टि भी होती है। सहआरोपी विनोद द्वारा उक्त उल्लेखित निर्देश के परिपालन में आवेदन अंतर्गत 319 दंप्रसं पेश किया है, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि उसने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नगर पालिका निगम भोपाल से स्थापना पंजीयन रजिस्टर की प्रति प्राप्त की है। जो आवेदन के साथ संलग्न है, में क्रमांक 72442 पर फैशन शूटिंग प्रा0 लि0 जो कि प्रश्नगत नमकीन की निर्माता एवं स्थापना का स्वामी पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी अरूण सेठी को होना बताया गया है। इसी आधार पर उसे सहआरोपी बनाये जाने हेतु विवादित आवेदन पेश किया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश दिनांक 30.01.17 पारित किया है।

9— विवादित आदेश का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में पुनरीक्षण याचिका में हुये आदेश के तारतम्य में आवेदक सहआरोपी विनोद के आवेदन पर पुनरीक्षणकर्ता को दंप्रसं की धारा 319 के तहत संज्ञान लेते हुये सहआरोपी बनाया है। संलग्न नगर पालिक निगम भोपाल के स्थापना पंजीयन रजिस्टर की सत्यापित प्रति पर जो सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त की गयी है, पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज से यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत डिपो पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी अरूण सेठी के स्वत्व की होकर, प्रश्नगत खाद्य में यदि कोई अपमिश्रण है तो वह उसके लिये जबावदेह है। यदि पुनरीक्षकर्ता/आरोपी स्वयं को किसी कारण से निर्दोष समझता है तो वह विचारण के दौरान अपना बचाव साक्ष्य पेश करने हेतु स्वतंत्र है। परन्तु प्रथम दृष्टया वह प्रश्नगत खाद्य के संग्रहण हेतु डिपो तथा निर्माण के लिये उत्तरदायी पाया गया है, इस कारण उसे धारा 319 दंप्रसं के तहत सहआरोपी बनाया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के विवादित आदेश दिनांक 30.01.17 में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है और यह पुनरीक्षण स्वीकार योग्य नहीं है।

10— परिणामतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में शुद्धता, वैधता एवं औचित्य की स्पष्ट त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए यह पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

11— आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटाया जाये।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर पारित किया गया

(डॉ. रमेश साहू)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश रायसेन
जिला रायसेन म0प्र0

मेरे निर्देशन में टंकित किया

(डॉ. रमेश साहू)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश रायसेन
जिला रायसेन म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी (शासकीय / विधिक